सहकारिता विभाग

उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
मैनुअल
जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा।

प्रस्तावना

1. यह हस्तपुस्तिका संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अनुरूप विभाग को शासन तथा लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के साथ–साथ भ्रष्टाचार को रोकने एवं सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा रखने के उद्देश्य से तैयार की गयी है, अधिनियम के अध्याय 2 नियम 4(1)ख में निर्दिष्ट बिन्दुओं के परिप्रेक्ष में विभागीय कार्यकलापों को इस हस्त पुस्तिका में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ आम जनमानस के समक्ष सूचना की पारदर्शिता बनी रहे।
2. हस्त पुस्तिका में दिये गये प्रारूप इस आधार पर तैयार किये गये हैं कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी जनमानस को सरलतम रूप में प्राप्त हो सके।
3. जो भी व्यक्ति/नागरिक इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा उसे अधिनियम की धारा 6(1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी भाषा में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा इसके लिये शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाला शुल्क सम्बन्धित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 7(5) में किये गये प्रावधान के अधीन भुगतान करना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्धारित व्यवस्थानुसार सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं0 (जिला सहायक निबन्धक, कार्यालय)
1	**प्रस्तावना**	
2	सूचना अधिनियम अध्याय – 1	4 से 8 तक
3	सूचना अधिनियम अध्याय – 2	8 से 9 तक
4	सूचना अधिनियम अध्याय – 3	10
5	सूचना अधिनियम अध्याय – 4	10
6	सूचना अधिनियम अध्याय – 5	10
7	सूचना अधिनियम अध्याय – 6	11 से 15 तक
8	सूचना अधिनियम अध्याय – 7	15
9	सूचना अधिनियम अध्याय – 8	16
10	सूचना अधिनियम अध्याय – 9	17
11	सूचना अधिनियम अध्याय – 10	18
12	सूचना अधिनियम अध्याय – 11	19
13	सूचना अधिनियम अध्याय – 12	20
14	सूचना अधिनियम अध्याय – 13	20
15	सूचना अधिनियम अध्याय – 14	20
16	सूचना अधिनियम अध्याय – 15	20
17	सूचना अधिनियम अध्याय – 16	20 से 27
18	सूचना अधिनियम अध्याय – 17	27 से 29

<u>नियम / अध्याय 01</u>

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य :–

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुए सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलवाने की व्यवस्था की अधिकारिक रूप से शुरूआत वर्ष 1904 में सहकारिता ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई है जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्राविधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे आगामी वर्षों में सहकारी आन्दोलन में प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगी तथा इस अधिनियम में कुछ कमियां भी सामने आने लगी। जिन्हें दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्यक्षेत्र में वृद्धि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समितियों के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण भी मिल गया एवं ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्‌देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। तत्पश्चात सहकारी आन्दोलन में बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में उ0प्र0 में नये सहकारी आन्दोलन का गठन किया गया जो उत्तराखण्ड राज्य में भी प्रचलित रहा।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य का नया सहकारी समिति अधिनियम गठित कर दिया गया है जिसमें पूर्ववर्ती अधिनियमों की कमियों में सुधार लाने का प्रयास किया गया, सहकारी बन्धुओं को और अधिक अधिकार देते हुए निबन्धन के अधिकारों में कमी की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त एक नया स्वाश्रीय (आत्मनिर्भर) सहकारी अधिनियम 2003 को गठन किया गया। जिसमें सहकारी समितियों को निबन्धक के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त करते हुए समिति की सामान्य सभा को पूर्ण उत्तरदायित्व दिये गये हैं। इस प्रकार गठित समितियों को राज्य की सहायता भी सामान्यतः उपलब्ध नहीं होगी, समितियां अपना कार्य क्षेत्र एवं कार्य करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होंगी।

– जनपद अल्मोड़ा में सहकारिता –

(1) केन्द्रीय सहकारी संस्थायें –

1.	अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0	– 01
2.	अल्मोड़ा जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0	– 01
3.	अल्मोड़ा कुमाऊँ सहकारी विकास संघ लि0	– 01
4.	फल एवं शाक सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0	– 01

(2) प्रारम्भिक सहकारी समितियां –

1.	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां	– 80
2.	प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियां	– 13
3.	क्रय–विक्रय सहकारी समितियां	– 01
4.	श्रम सहकारी समितियां	– 59
5.	वेतनभोगी सहकारी समितियां	– 09
6.	नगरीय सहकारी बैंक	– 01
7.	परिवहन सहकारी समितियां	– 02
8.	बहुउद्देशीय सहकारी समितियां	– –
9.	कृषि सहकारी समितियां	– –
10.	मुर्गीपालन सहकारी समितियां	– –
11.	सूअर पालन सहकारी समितियां	– –
12.	गृह निर्माण सहकारी समितियां	– –
13.	तिलहन सहकारी समितियां	– –
14.	भेषज सहकारी समितियां	– 01
15.	औद्योगिक सहकारी समितियां	– 47
16.	औद्यानिक सहकारी समितियां	– –
17.	मत्स्य सहकारी समितियां	– –
18.	रेशम सहकारी समितियां	– –
19.	अन्य सहकारी समितियां	– 09
20.	बुनकर सहकारी समितियां	– 10

–सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनायें –

- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना
- सहकारी क्रय–विक्रय योजना
- सहकारी उपभोक्ता योजना
- सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार योजना
- पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि निवश आपूर्ति एवं वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता
- कृषि निवेशों के परिवहन पर राज सहायता
- एकीकृत सहकारी विकास योजना
- केन्द्र पोषित योजनायें

(क) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना –

- पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के अंशक्रय हेतु अधिकतम 100 रूपये तक ब्याज रहित/ऋण अनुदान
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को वर्ष दौरान ऋण वितरण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एवं साज–सज्जा अनुदान
- अनु0 जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से राहत हेतु अनुदान

(ख) सहकारी क्रय–विक्रय योजना –

- क्रय विक्रय समितियों को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान
- क्रय–विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान
- पैक्स के ग्रामीण गोदाम निर्माण/मरम्मत हेतु जिला योजना में अनुदान

(ग) सहकारी उपभोक्ता योजना :–

- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार–चढ़ाव निधि हेतु अधिकतम रू0 25000/– प्रति वर्ष अनुदान
- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को अधिकतम रू0 25000/– प्रति वर्ष अनुदान
- पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु 5000/– का यातायात अनुदान
- संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान

<u>एन.सी.डी.सी. के अन्तर्गत सहकारी समितियों को उपलब्ध करायी जाने वाली योजनायें :-</u>

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को व्यवसाय वृद्धि, अंशपूंजी, अधिकतम सीमा 5.00 लाख, जिसकी वसूली 8 वर्ष पश्चात 8 समान वार्षिक किश्तों में।
क्रय-विक्रय एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार हेतु वाहन खरीद में वित्तीय सहायता जिसमें 50 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अंशपूंजी।
बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें 95 प्रतिशत ऋण तथा 5 प्रतिशत समिति द्वारा वहन किया जाता है।
पैक्स, लैम्पस, एफ.एस.एस. आदि सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण, नवीनीकरण, उच्चीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
पैक्स, लैम्पस, एफ.एस.एस. जो उपभोक्ता व्यवसाय का कार्य करती है, उन्हें मार्जिनमनी, परिवहन वाहन की खरीद एवं शापिंग कॉम्पलैक्स आदि के लिए वित्तीय सहायक प्रदान की जानी है।
जनजाति सहकारी समिति को गोदाम निर्माण हेतु 33 प्रतिशत अनुदान सहित वित्तीय सहायता।

आई.सी.डी.पी. योजना

चयनित जनपदों के समग्र सहकारी विकास के लिए प्रस्तावित वर्तमान में हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, उधमसिंहनगर व अल्मोड़ा में संचालित।
उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में भविष्य में चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी।
योजना के अन्तर्गत समितियों की भण्डारण क्षमता वृद्धि
समितियों को मार्जिनमनी उपलब्ध कराना
सहकारिता प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार
मानव विकास संसाधन हेतु वित्तीय सहायता
सहकारी बन्धुओं का अन्य प्रदशे की सहकारिताओं का अध्ययन भ्रमण

मुख्य कार्यक्रम

अल्पकालीन ऋण वितरण
मध्यकालीन ऋण वितरण
दीर्घकालीन ऋण वितरण
नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन
उपभोक्ता व्यवसाय
उर्वरक व्यवसाय
कृषि निवेशों एवं कृषि रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय
सहकारी देयों की वसूली
मूल्य समर्थन के अन्तर्गत कृषि उपजों (गेहूं एवं धान) की खरीद
किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण

महिला समूहों का गठन
उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा बासमती एवं जड़ीबूटी की कान्ट्रेक्ट फार्मिंग
चीनी मिलों को वित्त पोषण
विविध प्रयोजनों हेतु बैंकों द्वारा ऋण वितरण
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण
प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्ययोजना प्रारम्भ

विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार गठित है –

सहकारिता विभाग का संगठनात्मक ढांचा –

जनपद स्तर	–	जिला सहायक निबन्धक लेखाकार एवं कार्यालय स्टाफ
तहसील स्तर पर	–	अपर जिला सहकारी अधिकारी
विकास खण्ड स्तर पर	–	सहायक विकास अधिकारी (सह0) राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक
न्याय पंचायत स्तर पर	–	सचिव, साधन सहकारी समिति लि0

नियम/अध्याय :– 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :

सहकारिता विभाग में जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य इस प्रकार हैं :–

(अ) जिला सहायक निबन्धक की शक्तियां :–

1. **नियुक्तियां सम्बन्धी अधिकार :–** निबन्धक द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी कोई भी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

2. **वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी अधिकार –** जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी के मामले में प्रतिवेदक अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर कर्मचारियों के मामले में समीक्षक अधिकारी का अधिकार।

3. **अवकाश सम्बन्धी अधिकार** – मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार तथा जनपद स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को 35 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार।

4. **अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही/दण्ड का अधिकार** – जनपद के सभी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही/दण्ड की संस्तुति का अधिकार।

5. **स्थानान्तरण का अधिकार** – जनपद में कार्यरत समस्त कर्मचारी/अधिकारी के जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण का अधिकार।

6. जनपद में स्थित सहकारी समितियों के नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों को तद्नुसार मार्गदर्शन करना।

7. निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।

(ब) अपर जिला सहकारी अधिकारी की शक्तियां :–

1. तहसील के अन्तर्गत स्वायत्त सहकारी समितियां पंजीकृत करने का अधिकार।
2. तहसील की समस्त साधन सहकारी समितियों के निरीक्षण करने का अधिकार।
3. मु0 पचास हजार रू0 तक के अभिनिर्णय करने का अधिकार।
4. तहसील स्तर पर सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं अनुपालन कराना, आडिट, सहकारी समितियों के पुर्नगठन, आर्बीटेशन, शिकायतों की जांच, अधीनस्थ विकास खण्ड में नियुक्त विभागीय कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, सहकारी समितियों में कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा विभागीय आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति कराना।

(स) सहायक विकास अधिकारी (सह0) की शक्तियां –

1. पच्चीस हजार रू0 तक अभिनिर्णय करने का अधिकार
2. विकास खण्ड में स्थित समस्त सह0 समिति के निरीक्षण करने का अधिकार।
3. विकास खण्ड में स्थित समस्त प्रकार की सहकारी समितियों का वर्ष में 4 बार निरीक्षण करना, ऋण सत्यापन, आडिट परिपालन, अभिनिर्णय, वार्षिक संकलन तैयार करना, उच्चाधिकारियों के निरीक्षणों का अनुपालन कराना, उपभोक्ता व्यवसाय कराना, कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना, सहकारी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना, नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों पर वैधानिक कार्यवाही करना, समितियों की बैठक में भाग लेना, किसान सेवा केन्द्रों का संचालन अन्य कार्य जो विकास खण्ड तथा जिला स्तर पर आवंटित किये जायें।

नियम/अध्याय – 3
निर्णय करने की प्रक्रिया

1. विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को निबन्धक द्वारा निर्देशित प्रक्रियाओं के अधीन क्रियान्वित किया जाता है, क्रियान्वित कार्यक्रमों का समय–समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आय–व्यय सम्बन्धी कार्यों को भी विभागीय अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सम्पादित किया जाता है। जनपद में आहरण एवं वितरण का अधिकार अपर निबन्धन सह0 समि0 उत्तरांचल के पास निहित है। अतः आहरण एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों में उनके स्तर से ही निर्णय लिया जाता है।
2. विभाग द्वारा अपने निर्णय से कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को ही विभाग द्वारा क्रियान्वित कराया जाता है।

नियम/अध्याय – 4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक एवं नियम

जनपद में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निबन्धक के निर्देशानुसार ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

नियम/अध्याय – 5

कृत्यों के निर्वहन हेतु बनाये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना

अधिकारियों एवं कर्मचारी द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए किया जाता है। विभाग द्वारा जो भी नियम/व्यवस्था जारी की जाती है उन्हें सभी स्तर पर पत्रावलियों के रूप में सुरक्षित रखकर कार्यों का संचालन किया जाता है।

अभिलेख का नाम एवं परिचय	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त की जा सकती है
1. वेतन भत्तों, चरित्र प्रविष्टियों, यात्रा, सुविधा, सेवानिवृत्त लाभ/पेंशन से सम्बन्धित आदेश की फाईल	नियम/ अनुदेश	कार्यालय जिला सहायक निबन्धक से निर्धारित शुल्क की अदायगी किये जाने पर
2. पदों की स्वीकृत, स्थानान्तरण नीति, अधिष्ठान सम्बन्धी व अन्य आदेशों की फाईल	–,,–	–,,–
3. बिल एवं देयकों प्रकरणों सम्बन्धी आदेशों की फाईल	–,,–	–,,–

नियम / अध्याय – 06

दस्तावेज / अभिलेखों का विवरण :–

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	जनता द्वारा जांच के लिये उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	नियन्त्रणाधीन / धारक
1	**अधिष्ठान**	उपस्थिति पंजिका	जांच के लिये उपलब्ध	आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अदा करने पर	मु0 सहायक / जि0स0नि0
2.	,,	स्थापना पंजिका	,,	,,	,,
3.	,,	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति पंजिका	,,	,,	,,
4.	,,	अधि0 / कर्म0 की व्यक्तिगत पत्रावली	,,	,,	,,
5.	,,	अधि0 / कर्म0 की चरित्र पंजिका पत्रावली	,,	,,	,,
6.	,,	त्रैमासिक सूचना पत्रावली	,,	,,	,,
7.	,,	विडिंग पत्रावली	,,	,,	,,
8.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
2.	**निर्वाचन**				
1.	,,	क्षेत्र अवधारणा पत्रावली	,,	,,	प्र0निर्वाचन पटल
2.	,,	सह. समि. के निर्वाचन सामग्री से सम्बन्धित पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल से सम्बन्धित पत्रावली	,,	,,	,,
4.	,,	निर्वा0 से सम्बन्धित प्राप्त शिका0 / जांच पत्रावली	,,	,,	,,
5.	,,	अंतिम क्षेत्र अवधारणा पत्रावली	,,	,,	,,
6.	,,	विभिन्न स0समि0 से प्राप्त निर्वाचन शुल्क पंजिका	,,	,,	,,
7.	,,	निबन्धक से प्राप्त निर्देशों की पत्रावली	,,	,,	,,
8.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
3.	**विधि**				

1.	,,	पत्राचार पत्रावली	,,	,,	ए.डी.सी.ओ. विधि/जि.स.नि.
2.	,,	रिट याचिका पंजिका	,,	,,	,,
3.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
4.	**शिकायत**				
1.	,,	विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायती पत्र एवं जांच पंजिका	,,	,,	,,
2.	,,	समाचार पत्रों की कटिंग की जांच पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	निबन्धक से प्राप्त पत्रों की पत्रावली	,,	,,	,,
4.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
5	**निबन्धन**				
1.	,,	सहकारी समितियों/स्वा. समि. की पंजिका	,,	,,	,,
2.	,,	निबन्धन से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
6.	**लेखा**				
1.	,,	जिला योजना पत्रावली	,,	,,	लेखाकार कार्या. /जि.स.नि.
2.	,,	अधिष्ठान व्यय हेतु बजट पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	वेतन बिल पंजिका	,,	,,	,,
4.	,,	आकस्मिक व्यय पंजिका	,,	,,	,,
5.	,,	भविष्य निधि पत्रावली	,,	,,	,,
6.	,,	राजकीय ऋण/अंशधन/मार्जिन मनी पंजिका	,,	,,	,,
7.	,,	स्टाक रजिस्टर/मृत स्कन्ध पंजिका	,,	,,	,,
8.	,,	ग्रामीण गोदाम पत्रावली	,,	,,	,,
9.	,,	धन. अवमुक्त पत्रावली	,,	,,	,,
10.	,,	उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रावली	,,	,,	,,
11.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
7.	**पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण**				
1.	,,	विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों की पंजीकरण पंजिका	,,	,,	डिस्पैच/निस्तारण पटल जि.स.नि. कार्या

2.	,,	कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले पत्रों की प्रेषण पंजिका	,,	,,	,,
3.	,,	डाक टिकट पंजिका	,,	,,	,,
4.	,,	अवशेष संदर्भों की पंजिका	,,	,,	,,
5.	,,	स्थानीय डाक वितरण पंजिका	,,	,,	,,
6.	,,	पटल सहायकों को प्राप्त कराये जाने वाले पत्रों की पंजिका	,,	,,	,,
7.	,,	पत्रावलियों की पंजिका	,,	,,	,,
8.	,,	पंजिकाओं की पंजिका	,,	,,	,,
9.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
8.	**निरीक्षण**				
1.	,,	विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरी0 सम्बन्धी पत्रावली	,,	,,	ए.डी.सी.ओ. /जि.स.नि.
2.	,,	विभिन्न सहकारी समितियों के निरी. एवं परिपालन पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	निरीक्षण संबंधी मासिक प्रगति सूचना पत्रावली	,,	,,	,,
4.	,,	निबन्धक से प्राप्त पत्रों की पत्रावली	,,	,,	,,
5.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
9.	**आडिट**				
1.	,,	विभिन्न सहकारी समितियों के आडिट एवं परिपालन पत्रावली	,,	,,	ए.डी.सी.ओ. आडि. /जि.स. नि.
2.	,,	आडिट संबंधी मा. प्र.सू. पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	निबन्धक से प्राप्त पत्रों की पत्रावली	,,	,,	,,
4.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
10.	**उर्वरक**				
1.	,,	उर्वरक संबंधी मा.प्र.सू. पत्रावली	,,	,,	ए.डी.सी.ओ. कृ.नि. /जि.स. नि.
2.	,,	उर्वरत संबंधी विविध पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	उर्वरक सत्यापन पत्रावली	,,	,,	,,

4.	,,	निबन्धक से प्राप्त पत्रों की पत्रावली	,,	,,	,,
5.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
11.	**उपभोक्ता**				
1.	,,	उपभोक्त मा0प्र0सू0 पत्रावली	,,	,,	ए.डी.सी.ओ. उप./ जि.स.नि.
2.	,,	उप संबंधी विविध पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	निबन्धक से प्राप्त पत्रों की पत्रावली	,,	,,	,,
12.	**आई.सी. डी.पी.**				
1.	,,	समितियों से प्राप्त पत्र एवं प्रस्ताव पत्रावली एवं स्वीकृत पत्रावली	,,	,,	प्र.आई.सी.डी.पी.
2.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,
13.	**आजीविका परियोजना**	पत्राचार पत्रावली	,,	,,	प्रा.आजी.यो.
14.	**परिलेख अनुभाग**				
1.	,,	निबन्धन से प्राप्त पत्रावली	,,	,,	अ.क.स./ जि.स. नि.
2.	,,	बैठक पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	डी.एस.टी.ओ. पत्रावली	,,	,,	,,
4.	,,	अल्पबचत पत्रावली	,,	,,	,,
5.	,,	वार्षिक परिलेख पत्रावली	,,	,,	,,
6.	,,	वार्षिक प्रगति पत्रावली	,,	,,	,,
7.	,,	विविध पत्रावली/अन्य से प्राप्त	,,	,,	,,
8.	,,	एम.डी.ओ.	,,	,,	,,
15.	**आत्मा परियोजना**				
1.	,,	पत्राचार पत्रावली	,,	,,	प्र.आ.परि.
2.	**वसूली एवं संग्रह**	वसूली पंजिका	,,	,,	सी.ओ.व./ जि. स.नि.
3.	,,	एम.पी.आर. पत्रावली	,,	,,	,,
4.	,,	धारा 95क पत्रावली	,,	,,	,,
5.	,,	इजराय पत्रावली	,,	,,	,,
6.	,,	संग्रह पत्रावली	,,	,,	,,
7.	,,	आर.सी.एस. से प्राप्त पत्रावली	,,	,,	,,
8.	,,	विविध पत्रावली	,,	,,	,,

16.	**बैंकिंग**				अन्वेशक कम सं0 / जि.स.नि.
1.	,,	एम.पी.आर. पत्रावली	,,	,,	
2.	,,	पत्राचार पत्रावली	,,	,,	,,
3.	,,	आर.सी.एस. से प्राप्त पत्रावली	,,	,,	,,
17.	**सूचना का अधिकार अधिनियम**				अन्वेशक कम सं0
1.	,,	एम.पी.आर. पत्रावली	,,	,,	ʻʻ
2.	,,	सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण पंजिका	,,	,,	,,
3.	,,	आर.सी.एस. एवं अन्य से प्राप्त पत्र पत्रावली / पत्राचार पत्रावली	,,	,,	,,

नियम / अध्याय – 07

नीति बनाने या उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में :– नीति बनाने एवं उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निबन्धक के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। सहकारी समितियों, जन प्रतिनिधि समिति के संचालक होते हैं तथा वह समिति स्तर पर नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं।

नियम/अध्याय – 08

बोर्डों, परिषदों, समितियों का विवरण – क्या वे जनता के लिये खुली होंगी

सहकारी समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक एवं खुली होती है तथा कोई व्यक्ति सदस्य बनकर समिति के संचालन में नियमानुसार भाग ले सकता है।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ –

सहकारिता विभाग में लोक सूचना अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है –

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
	केन्द्रीय सहकारी संस्थायें		
1.	अल्मोड़ा जिला सहकारी बंक लि0	श्री एम0पी0सुगनन, सचिव/महाप्रबन्धक, अल्मोड़ा जिला सह0 बैंक लि0	आनन्द ए.डी.शुक्ल, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
2.	केन्द्रीय उपभोक्ता सह. भण्डार लि0, अल्मोड़ा	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे, सचिव केन्द्रीय उपभोक्ता सह0 भण्डार लि0, अल्मोड़ा	आनन्द ए.डी.शुक्ल, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
3.	कुमाऊँ सहकारी विकास संघ लि0, अल्मोड़ा	श्री शेर सिंह कनवाल, जिला सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा	आनन्द ए.डी.शुक्ल, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

नियम / अध्याय – 09

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :

जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष (कार्यालय एवं फैक्स)
1.	सर्व श्री आनन्द ए.डी.शुक्ल	जि.स.नि.	232290, 232290 (फैक्स)
2.	श्री सी.एस.पांगती	ए.डी.सी.ओ. मुख्यालय	
3.	श्री बी.एस.सिराड़ी	ए.डी.सी.ओ. मुख्यालय	
4.	श्री डी.एस.असवाल	ए.डी.सी.ओ. मुख्यालय	
5.	श्री रणजीत सिंह राणा	ए.डी.सी.ओ. मुख्यालय	
6.	श्री बी.सी.चतुर्वेदी	सी.ओ.मुख्यालय	
7.	श्री नजमुद्दीन	लेखाकार	
8.	श्री शेर सिंह कनवाल	सी.ओ.	
9.	श्री पी.के. पाण्डे (ए.आर.सी.एस.कार्या. में सम्बद्ध)	मुख्य सहायक	
10.	श्री विनोद चौधरी	अन्वेशक कम संगणक	
11.	श्रीमती सरिता पासी	राजकीय पर्यवेक्षक	
12.	श्री लक्ष्मण सिंह	चालक	
13.	श्री भूपाल राम	कुर्क अमीन	
14	श्री राजेन्द्र सिह भण्डारी	सहयोगी	

नियम/अध्याय – 10

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण

विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित नियमों एवं शासनादेशों के तहत वेतन, भत्तों अर्थात पारिश्रमिकों आदि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रचलित एकीकृत भुगतान प्रणाली की व्यवस्था के अन्तर्गत वेतन भत्तों का आहरण विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की संस्तुति पर जनपदीय कोषागार द्वारा किया जाता है। प्राप्त पारिश्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान	पारिश्रमिक प्राप्त मासिक	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आनन्द ए.डी.शुक्ल	जि.स.निब.	15600–39100	45002.00	शासन द्वारा पदवार वेतनमानों का निर्धारण किया जाता है जिस पर वार्षिक आधार पर वेतन वृद्धियां अनुमन्य की जाती है
2.	श्री सी.एस.पांगती	ए.डी.सी.ओ.	9300–34800	39970.00	
3.	श्री बी.एस.सिराड़ी	ए.डी.सी.ओ.	9300–34800	36111.00	
4.	श्री डी.एस.असवाल	ए.डी.सी.ओ.	9300–34800	36730.00	
5.	श्री रणजीत सिंह राणा	ए.डी.सी.ओ.	9300–34800	34425.00	
6.	श्री नजमुद्दीन	लेखाकार	9300–34800	35664.00	
7.	श्री बी.सी.चतुर्वेदी	सी.ओ.	9300–34800	35388.00	
8.	श्री शेर सिंह कनवाल	सी.ओ.	9300–34800	38003.00	
10.	श्री विनोद चौधरी	अन्वे.कम सं0	9300–34800	31863.00	
11.	श्रीमती सरिता पासी	रा0पर्यवेक्षक	5200–20200	15751.00	
12.	श्री लक्ष्मण सिंह	चालक	5200–20200	24938.00	
13.	श्री भूपाल राम	कुर्क अमीन	5200–20200	19776.00	
14.	श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी	सहयोगी	4440–7440	17837.00	

नियम/अध्याय – 11

समितियों को आवंटित बजट – वर्ष 2012–13 में समितियों/कैडर फंड को जिला योजना से मिलने वाली धनराशि का विवरण इस प्रकार से है –

क्र.सं.	विभाग/सैक्टर/योजना संख्या	2012–13					
		अनुमोदित परिव्यय			अन्तिम व्यय		
		कुल (लाख में)	कुल में		कुल (लाख में)	कुल में	
			एस.सी.पी.	टी.एस.पी.		एस.सी.पी.	टी.एस.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
अ.	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना						
1.	पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर को अनुदान	56.00	8.70	–	48.24	7.24	–
2.	पैक्स को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय /साज–सज्जा अनुदान	3.00	0.30	–	2.40	0.30	–
3.	अनु. जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर राहत हेतु अनुदान	4.50	4.50	–	4.50	4.50	–
4.	अनु.जाति/जनजाति के सदस्यों को अं ाक्रय हेतु ब्याज रहित अनु0	0.50	0.50	–	0.46	0.46	–
5.	पैक्स को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान	26.00	6.00	–	9.80	6.00	–
ब.	उपभोक्ता योजना						
1.	कुमाउँ सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा को यातायात अनुदान	0.50	–	–	0.50	–	–
2.	पैक्स को उप0 व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान	0.50	–	–	0.50	–	–
3.	केन्द्रीय उप0 भण्डारों को पुर्नस्थापित हेतु अनुदान	–	–	–	–	–	–
स.	सहकारी क्रय–विक्रय योजना						
1.	पैक्स को क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्धार/ मरम्मत हेतु अनुदान	–	–	–	–	–	–
2.	पैक्स भण्डारण क्षमता वृद्धि गोदाम के लिये अनुदान	27.00	–	–	18.20	–	–
	कुल योग	**118.00**	**20.00**	**–**	**84.60**	**18.50**	**–**

नियम/अध्याय – 12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति – शासन द्वारा उपलब्ध अनुदान सहकारी समितियों को दिया जाता है जो उनका विवरण अपने अभिलेखों में रखती हैं। 4(12)

नियम/अध्याय – 13

रियायत : – अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के सम्बन्ध में 4(13) विवरण सहकारिता विभाग में इससे सम्बन्धित नहीं है।

नियम/अध्याय – 14

इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना – के सम्बन्ध में जानकारी सहकारिता विभाग के बारे में जनपद अल्मोड़ा की सूचना सी.डी. के रूप में उपलब्ध है।

नियम/अध्याय – 15

सहकारी गोष्ठियों एवं विभागीय बैठकों में जनता को विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। विभाग में कोई पुस्तकालय आदि की व्यवस्था नहीं है।

नियम/अध्याय – 16

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी समितियों से सम्बन्धित सूचना

जनपद – अल्मोड़ा

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
	केन्द्रीय सहकारी संस्थायें		
1.	अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0	श्री एम0पी0सगुणन, सचिव/महाप्रबन्धक, अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0	जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
2.	केन्द्रीय उपभोक्ता सह. भण्डार लि0, अल्मोड़ा	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे, सचिव केन्द्रीय उपभोक्ता सह0 भण्डार लि0, अल्मोड़ा	जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

3.	कुमाऊँ सहकारी विकास संघ लि0, अल्मोड़ा	श्री शेर सिंह कनवाल, जिला सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा	जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
2.	**प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां**		
1.	देवलीखान साधन सहकारी समिति लि0	श्री नारायण सिंह बिष्ट, सचिव, देवलीखान साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
2.	फलसीमा साधन सहकारी समिति लि0	श्री यादव सिंह बिष्ट, सचिव, फलसीमा साधन सहकारी समिति लि0, 9412925907	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
3.	दौलाघट साधन सहकारी समिति लि0	श्री रमेश चन्द्र, सचिव, दौलाघट साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
4.	खत्याड़ी साधन सहकारी समिति लि0	श्री दीवान सिंह, सचिव, खत्याड़ी साधन सहकारी समिति लि0 9410363976	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
5.	भगतोला साधन सहकारी समिति लि0	श्री सतीश चन्द्र, सचिव, भगतोला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
6.	कोसी साधन सहकारी समिति लि0	श्री देवकीनन्दन जोशी सचिव, कोसी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
7.	देवस्थल साधन सहकारी समिति लि0	श्रीमती हेमा सनवाल, सचिव, देवस्थल साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
8.	धामस साधन सहकारी समिति लि0	श्री अर्जुन सिंह मेहता, सचिव, धामस साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड हवालबाग
9.	कोलदोड़म साधन सहकारी समिति लि0	श्री महेन्द्र सिंह, सचिव, कोलदोड़म साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
10.	ध्याड़ी साधन सहकारी समिति लि0	श्री चन्दन राम सचिव, ध्याड़ी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
11.	दन्या साधन सहकारी समिति लि0	श्री महेन्द्र सिंह, सचिव, दन्या साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
12.	खेती साधन सहकारी समिति लि0	श्री जैत सिंह बिष्ट सचिव, खेती साधन	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड

		सहकारी समिति लि0	धौलादेवी
13.	नैनी साधन सहकारी समिति लि0	श्री सुरेश लाल, सचिव, नैनी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
14.	पनुवानौला साधन सहकारी समिति लि0	श्री सुरेश लाल सचिव, पनुवानौला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
15.	भनोली साधन सहकारी समिति लि0	श्री दीप चन्द्र, सचिव, भनोली साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
16.	बसन्तपुर साधन सहकारी समिति लि0	श्री दीप चन्द्र उप्रेती, सचिव, बसन्तपुर साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
17.	जागेश्वर साधन सहकारी समिति लि0	श्री त्रिलोक सिंह बगड़वाल, सचिव, जागेश्वर साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड धौलादेवी
18.	कल्टानी साधन सहकारी समिति लि0	श्री त्रिलोकर सिह, सचिव, कल्टानी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
19.	चौखुरी साधन सहकारी समिति लि0	श्री नरोत्तम जोशी, सचिव, चौखुरी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
20.	लमगड़ा साधन सहकारी समिति लि0	श्री चन्दन सिंह अधिकारी, सचिव, लमगड़ा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
21.	उज्यौला साधन सहकारी समिति लि0	श्री त्रिलोक सिंह सचिव, उज्यौला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
22.	चायखान साधन सहकारी समिति लि0	श्री चन्दन सिंह अधिकारी, सचिव, चायखान साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
23.	शहरफाटक साधन सहकारी समिति लि0	श्री नरोत्तम जोशी, सचिव, शहरफाटक साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
24.	मोतियापाथर साधन सहकारी समिति लि0	श्री धन सिंह रौतेला, सचिव, मोतियापाथर साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड लमगड़ा
25.	भकूना साधन	श्री मोहन सिंह, सचिव,	सहायक विकास

	सहकारी समिति लि0	भकूना साधन सहकारी समिति लि0	अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
26.	कफड़खान साधन सहकारी समिति लि0	श्री मोहन सिंह सचिव, कफड़खान साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
27.	ताकुला साधन सहकारी समिति लि0	श्री मोहन सिंह सचिव, ताकुला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
28.	रनमन साधन सहकारी समिति लि0	श्री लीलाधर काण्डपाल, सचिव, रनमन साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
29.	सोमेश्वर साधन सहकारी समिति लि0	श्री लीलाधर काण्डपाल, सचिव, सोमेश्वर साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
30.	भैंसड़गांव साधन सहकारी समिति लि0	श्री गोधन सिंह बिष्ट, सचिव, भैंसड़गांव साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
31.	छानी लवेशाल साधन सहकारी समिति लि0	श्री मनोहर सिंह सचिव, छानील्वेशाल साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
32.	चनौदा साधन सहकारी समिति लि0	श्री मनोहर सिंह बिष्ट सचिव, चनौदा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताकुला
33.	धौलछीना साधन सहकारी समिति लि0	श्री भूपाल सिंह, सचिव, धौलछीना साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भैंसियाछाना
34.	कालिका साधन सहकारी समिति लि0	श्री भूपाल सिंह, सचिव, कालिका साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भैंसियाछाना
35.	भैंसियाछाना साधन सहकारी समिति लि0	श्री गोधन सिंह, सचिव, भैसियाछाना, साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भैंसियाछाना
36.	लिंगुड़ता साधन सहकारी समिति लि0	श्री गोधन सिंह, सचिव, लिंगुणता साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भैंसियाछाना
37.	नौबाड़ा साधन सहकारी समिति लि0	श्री त्रिलोक सिंह, सचिव, नौबाड़ा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भिकियासैंण
38.	भतरौंजखान साधन सहकारी समिति लि0	श्री रमेश चन्द्र उप्रेती, सचिव, भतरौंजखान	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड

		साधन सहकारी समिति लि0	भिकियासैंण
39.	सिनौड़ा साधन सहकारी समिति लि0	श्री राजेन्द्र प्रसाद, सचिव, सिनौड़ा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भिकियासैंण
40.	नौला साधन सहकारी समिति लि0	श्री त्रिलोक सिंह रावत, सचिव, नौला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भिकियासैंण
41.	भिकियासैंण साधन सहकारी समिति लि0	श्री कृपाल सिंह मेहरा, सचिव, भिकियासैंण साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भिकियासैंण
42.	चनौली साधन सहकारी समिति लि0	श्री कृपाल सिंह मेहरा सचिव, चनौली साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड भिकियासैंण
43.	खड़कतया साधन सहकारी समिति लि0	श्री भुवन चन्द्र सती, सचिव, खड़कतया साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड चौखुटिया
44.	चौखुटिया साधन सहकारी समिति लि0	श्री कृपाल सिंह रावत, सचिव, चौखुटिया साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड चौखुटिया
45.	गनाई साधन सहकारी समिति लि0	श्री चन्द्रशेखर जोशी, सचिव, गनाई साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड चौखुटिया
46.	मांसी साधन सहकारी समिति लि0	श्री कृपाल सिंह रावत सचिव, मासी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड चौखुटिया
47.	महाकालेश्वर साधन सहकारी समिति लि0	श्री खड़कसिंह भण्डारी सचिव, महाकालेश्वर साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड चौखुटिया
48.	देघाट साधन सहकारी समिति लि0	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सचिव, देघाट साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
49.	स्याल्दे साधन सहकारी समिति लि0	श्री अनोप सिंह रावत, सचिव, स्याल्दे साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
50.	चचरोटी साधन सहकारी समिति लि0	श्री अनूप सिंह सचिव, चचरोटी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
51.	टिटेश्वर–टिपालपुर	श्रीमती रधुली देवी सचिव,	सहायक विकास

	साधन सहकारी समिति लि0	टिटेश्वर–टिपालपुर साधन सहकारी समिति लि0	अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
52.	उदयपुर साधन सहकारी समिति लि0	श्री सरेन्द्र प्रसाद सचिव, उदयपुर साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
53.	कमान साधन सहकारी समिति लि0	श्री अनोप सिंह सचिव, कमान साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
54.	गुदलेख साधन सहकारी समिति लि0	श्रीमती रधुली देवी सचिव, गुदलेख साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड स्याल्दे
55.	भवाली साधन सहकारी समिति लि0	श्री साधो सिंह, सचिव, भवाली साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
56.	खुमाड़ साधन सहकारी समिति लि0	श्री हीरा सिंह रावत सचिव, खुमाड़ साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
57.	चांच साधन सहकारी समिति लि0	श्री साधो सिंह सचिव, चांच साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
58.	मानिला साधन सहकारी समिति लि0	श्री प्रकाश चन्द्र सचिव, मानिला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
59.	क्वैराला साधन सहकारी समिति लि0	श्री प्रकाश चन्द्र, सचिव, क्वैराला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
60.	भौनखाल साधन सहकारी समिति लि0	श्री उर्वादत्त, सचिव, भौनखाल साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
61.	मरचूला साधन सहकारी समिति लि0	श्री देवीदत्त, सचिव, मरचूला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
62.	देवायल साधन सहकारी समिति लि0	श्री तारासिंह सचिव, देवायल साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
63.	हरड़ा साधन सहकारी समिति लि0	श्री उर्वादत्त सचिव, हरड़ा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड सल्ट
64.	मछोड़ साधन सहकारी समिति लि0	श्री उर्वादत्त, सचिव, मछोड़ साधन सहकारी	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड

		समिति लि0	सल्ट
65.	ताड़ीखेत साधन सहकारी समिति लि0	श्री सतीश चन्द्र, सचिव, ताड़ीखेत साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
66.	चमड़खान साधन सहकारी समिति लि0	श्री पंकज भगत, सचिव, चमड़खान साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
67.	गनियाद्योली साधन सहकारी समिति लि0	श्री कुंवर सिंह बिष्ट, सचिव, गनियाद्योली साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
68.	जालीखान साधन सहकारी समिति लि0	श्री कुबेर सिंह मेहरा, सचिव, जालीखान साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
69.	चिलियानौला साधन सहकारी समिति लि0	श्री उमेश चन्द्र जोशी सचिव, चिलियानौला साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
70.	उपराड़ी साधन सहकारी समिति लि0	श्री भोलादत्त सचिव, उपराड़ी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
71.	पातली साधन सहकारी समिति लि0	श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट, सचिव, पातली साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
72.	देवलीखेत साधन सहकारी समिति लि0	श्री धन सिंह डंगवाल सचिव, देवलीखेत साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
73.	सगनेटी साधन सहकारी समिति लि0	श्री कुन्दन सिंह नेगी, सचिव, सगनेटी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड ताड़ीखेत
74.	द्वाराहाटा साधन सहकारी समिति लि0	श्री खड़क सिंह सचिव, द्वाराहाट साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट
75.	काण्डे साधन सहकारी समिति लि0	श्री किशन सिंह, सचिव, काण्डे साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट
76.	कफड़ा साधन सहकारी समिति लि0	श्री लक्ष्मण सिंह सचिव, कफड़ा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट

77.	कुवाली साधन सहकारी समिति लि0	श्री रमेश चन्द्र सचिव, कुवाली साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट
78.	ईडा साधन सहकारी समिति लि0	श्री किशन सिंह, सचिव, ईड़ा साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट
79.	रियूनी साधन सहकारी समिति लि0	श्री भुवन राम, सचिव, रियूनी साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट
80.	बासुलीसेरा साधन सहकारी समिति लि0	श्री भैरव दत्त सचिव, साधन सहकारी समिति लि0	सहायक विकास अधिकारी सह0, वि0खण्ड द्वाराहाट

नियम/अध्याय – 17

अन्य उपयोगी सूचना/जानकारियां : पूर्व नियमों/अध्यायों में समाहित सूचना के अतिरिक्त विभाग में नागरिकों की जानकारी के लिये कोई उपयोगी सूचना नहीं है।

नागरिक अधिकार पत्र

विभागीय कार्य : **जनपद – अल्मोड़ा**

क्र.सं.	कार्य का नाम		निस्तारण अवधि	विवरण
1.	समिति पंजीकरण	1. सहकारिता समिति 2. स्वायत्त सहकारिता	1 माह	प्रस्ताव प्राप्त से
2.	निर्वाचन		निबन्धक महोदय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार	
3.	आर्बिटेशन		1 माह	अर्जी दावा प्राप्ति के
4.	परिसमापन	1. विवाद जांच 2. परिसमापक नियुक्ति	3 माह	परिसमापक की संस्तुति के बाद
5.	निरीक्षण/परिपालन		15 दिन	
6.	शिकायत जांच	1. उर्वरक, कीटनाशक व अन्य व्यवसाय सम्बन्धित	30 दिन	
		2. ऋण सम्बन्धित 3. वसूली सम्बन्धित 4. बैंकिंग सम्बन्धित	1 सप्ताह	

कार्यालय के प्रशासनिक कार्य जिला सहायक निबन्धक, स्तर पर

क्र. सं.	कार्य का नाम		निस्तारण अवधि	विवरण
1.	राजकीय कर्मचारियों के 35 दिन का अर्जित अवकाश		7 दिन	
2.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अनन्तिम ग्रेच्युटी / पेंशन		1 माह	
3.	चिकित्सा अवकाश		7 दिन	
4.	कर्मचारियों के अन्य प्रकरण	1. 10 वर्ष का लाभ 2. 18 वर्ष का लाभ 3. 26 वर्ष का लाभ	7 दिन	निबन्धन स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित
5.	कर्मचारियों के जी.पी.एफ. स्वीकृति हेतु प्रकरण		7 दिन	निबन्धन स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित
6.	कर्मचारियों से सम्बन्धित अन्य प्रकरण		7 दिन	निबन्धन स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित

वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2012–13 में सहकारिता विभाग, जनपद अल्मोड़ा द्वारा निम्न कार्य किये गये :

क्र.सं.	कार्य विवरण	आवंटित लक्ष्य (लाख में)	सदस्य संख्या	पूर्ति (लाख में)
1.	अल्पकालीन ऋण वितरण	2500	10501	2566.17
2.	मध्यकालीन ऋण वितरण	600	994	322.92
3.	दीर्घकालीन ऋण वितरण	–	–	–

4. उर्वरक वितरण –

क्र.सं.	कार्य विवरण	लक्ष्य मै0 टन में	पूर्ति मै0 टन में
i-	यूरिया	500	430.570
ii-	एन.पी.के.	300	171.863
iii-	डी.ए.पी.	200	16.375

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लक्ष्य (लाख रू0 में)	पूर्ति (लाख रू0 में)
5.	उपभोक्ता व्यवसाय	228.00	114.24
6.	कृषि रसायन	–	–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लक्ष्य (कुन्टल में)	पूर्ति (कुन्टल में)
7.	बीज वितरण	34.00	34.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लक्ष्य (लाख रू0 में)	पूर्ति (लाख रू0 में)
8.	ऋण वसूली (वित्तीय वर्ष)	2340.97	1764.40

क्र.सं.	कार्य विवरण	लक्ष्य	संख्या	जमा धनराशि (लाख रू0में)
9.	i. अटल आदर्श ग्राम में नये मिनी बैंक खोल गये	–	–	–
	ii. कुल मिनी बैंक	–	118	2149.86
10.	पैक्स के ग्रामीण गोदामों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य	–	02	18.20

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लक्ष्य सं0	पूति सं0	कुल सं0
11.	(i) महिला बचत समूहों का गठन	20	20	1145
	(ii) महिला बचत समूहों को अनुदान	–	–	–

		संख्या
12. किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण(1.4.12से नये जारी)	–	12992
13. वर्ष 2012–13 में सहकारी समितियों का गठन	–	–
14. वर्ष 2012–13 में स्वायत्त सहकारिताओं का पंजीकरण	–	01
15. वर्ष 2012–13 में श्रम समितियों का गठन	–	–
16. सचिवों के वेतन हेतु जिला योजना में प्रदत्त अनुदान	–	48.24 (लाख)